अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३
	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा भूमि विवाद अपील वाद संख्या 52/2012 हरि लाल शर्मा एवं अन्य –– अपीलार्थी राज्य एवं अन्य वनाम–– प्रत्यर्थीगण प्रस्तुत अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, –सह सक्षम प्राधिकार, बिहार विवाद भूमि निराकरण, सिमरीबख्तियारपुर द्वारा वाद संख्या 68/2011 में दिनांक 16.01.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलार्थी द्वारा विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा वाद संख्या 68/2011 में दिनांक 16.01.12 को पारित आदेश से क्षुब्ध एवं असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा इस अपील वाद के माध्यम से वाद को स्वीकृत करने, वांछित अभिलेखों की मांग करने, प्रतिवादियों को नोटिस निर्गत करने एवं उभय पक्षों की सुनवाई कर उपरोक्त आदेश को निम्नलिखित तथ्यों के आधार निरस्त करते हुए सर्वमान्य एवं अनुकूल आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। आधारः– 1. यह कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्य से परे एवं विधि संगत नहीं है। 2. यह कि माननीय निम्न न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद को विधि के वृहद एवं सुसंगत प्रावधान/प्रावधानों के तहत हल नहीं किया गया है। 3. अपीलार्थी/वादी का अपील अर्जी में कथन है कि :–	

अपीलार्थी द्वारा दायर इस अपील आवेदन के शेड्यूल 'क', 'ख' एवं 'ग' पर उल्लिखित भूमि रिभीजनल हाल सर्वे खतियान में दर्ज है वह सही, वैधानिक है तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण इसे मानने के लिए बाध्य है।

4. यह कि अपीलार्थी एवं अपीलार्थीगण का अपने हिस्से की भूमि पर मौखिक बॅटवारें के आधार पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा है, और इस आधार पर रिभीजनल हॉल सर्वे खतियान में प्रविष्टि की गई है जैसा की अभिलेख में दर्ज है।

5. यह कि वर्ष 1989 के सेल डीड के आधार पर उपर्युक्त विवादित भूमि विपक्षी संख्या 2 एवं 3 के स्वामित्व में नहीं है और यह सेल डीड कार्यान्वित नहीं है।

6. यह कि इस अपील वाद आवेदन के शेड्यूल 'ग' पर अंकित कुल रकवा 47 डीसमल भूमि ओ.पी. संख्या 2 एवं 3 (प्रत्यर्थीगण) के दखल कब्जा में नहीं था।

7. यह कि अपीलार्थी /वादी का उपरोक्त विवादित भूमि उनके हिस्से के हिसाब से दखल कब्जा एवं स्वामित्व में है।

8. यह कि इस अपील वाद के भोड्यूल 'ख' के अनुसार, मौखिक बॅटवारे एवं अपीलार्थी के पारिवारिक रिभीजनल सर्वे खतियान के आधार पर उपरोक्त विवादित भूमि अपीलार्थी /वादी के वास्तविक अधिकार, स्वामित्व एवं दखल कब्जा में है।

9. यह कि उपरोक्त विवादित भूमि के संबंध में अपीलार्थी/ वादी का दावा वैधानिक है एवं विपक्षी संख्या 2 एवं 3 द्वारा विवादित भूमि से संबंधित धोखेबाजी एवं जालसाजी कर सेल डीड तैयार किया गया है।

10. यह कि प्रत्यर्थी (विपक्षी) संख्या 2 एवं 3 द्वारा प्रस्तुत सभी कागजात पूर्णतः गलत, अवैधानिक एवं तथ्यों से परे है।

11. यह कि विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/ प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कागजी साक्ष्य पर विश्सास नहीं किया जाना चाहिए था।

12. यह कि दिनांक 16.01.2012 को विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैधानिक, गलत एवं विधि के नियमों के दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण है एवं निरस्त करने योग्य है।

विपक्षीगण श्री गणेशी भार्मा वगैरह को नोटिश भेजा गया था । विपक्षीगण हाजिर नहीं हो सके। दिनांक 13.06.2013 को दिनांक 19.07.2013 को सुनवाई हेतु अंतिम अवसर दिया गया था।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं निम्नन्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकनोपरान्त यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी/वादी द्वारा निम्नन्यायालय के समक्ष दाखिल अर्जी के कंडिका 14 में प्रतिवादी नं0 2 द्वारा पंचायत चुनाव के दरमियान दि0 05.04.11 को जमीन पर दखल कब्जा करने का प्रयास किये जाने एवं चुनाव परिणाम के बाद जबरन दखल कब्जा करने की बात को दिनांक 14.05.11 को तथाकथित घोषणा को मद्दे नजर शेड्यूल "ख" में दिए गए वर्णन के आधार पर जमाबंदी कायम करने एवं उक्त शेड्यूल में दी गई बंटवारा के मुताबिक उक्त भूमि से बेदखली की आशंका से उक्त भूमि पर अधिकार एवं दखल का प्रख्यापन की मांग की गई है।

निम्नन्यायालय में उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं की दलील सुनने एवं दाखिल कागजातों, जमाबन्दी संख्या 773 एवं 886 से संबंधित अभिलेखों के परिशीलन व वादी के अर्जी दावा के पृष्ठभूमि में दाखिल वाद पर सूक्षमतापूर्वक विचारोपरान्त यह पाया गया है कि सन्दर्भ वाद का स्वरूप जमाबन्दी अपील से संबंधित है, जो भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009–10 के प्रावधानों के अन्तर्गत पोषणीयता का अभाव हैं। ऐसी स्थिति में निम्नन्यायालय द्वारा वादी द्वारा दाखिल अर्जी को अस्वीकृत किया गया है जो सही प्रतीत होता है।

अपील वाद को अस्वीकृत करते हुए इस अपील आवेदन की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

19/7/2013
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

19/7/2013
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा